न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) पश्चिमी, हरदोई।

मूल वाद संख्या–01/2017

बृजपाल सिंह बनाम अवध कुमार सिंह आदि

दिनांक–02–01–2017

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र 7ग2 मय समर्थित शपथ–पत्र 8ग2 पर एकपक्षीय रूप से सुना।

वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश–39 नियम–01 व 02 एवं धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता मय समर्थित शपथ–पत्र 8ग2 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की गयी है कि दौरान मुकदमा जरिए आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को मना कर दिया जावे कि वह वादी के वादास्पद भूखण्ड संख्या–545 रकवा 0.0510 हे० एवं गाटा संख्या–547/2 रकवा 0.1320 हे०, स्थित ग्राम–बरसोहिया, परगना–बरवन, तहसील–सवायजपुर, जिला–हरदोई पर किसी भांति कोई कब्जा व निर्माण न करें तथा वादी के शांतिपूर्ण कब्जा व भोगाधिकार में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में फेहरिश्त 11ग1 से उद्धरण खतौनी 12ग2 एवं इन्तखाब खसरा13ग2 एवं उपजिलाधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–07–10–2016 की प्रमाणित प्रति 14ग2/1–2 को प्रस्तुत किया गया है।

मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है। वादी द्वारा वाद–पत्र में कथन किया गया है कि वादी भूमि गाटा संख्या–545 रकवा 0.0510 हे० एवं गाटा संख्या–547/2 रकवा 0.1320 हे०, स्थित ग्राम–बरसोहिया, परगना–बरवन, तहसील–सवायजपुर, जिला–हरदोई का संक्रमणीय भूमिधर बकब्जा काश्तकार है। वादी उपरोक्त गाटाओं के रकवे की भूमि पर अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज व दखील चला आ रहा है। उपरोक्त गाटा से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार कब्जा न कभी रहा एवं न है। प्रतिवादीगण जबरदस्त व राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो वादी की गरीबी व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर वादी के उपरोक्त गाटा की भूमि पर जबरन कब्जा करके उसपर मकान आदि का निर्माण कर लेना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। दिनांक–22–12–2016 को प्रतिवादीगण ने जनबल के साथ आकर वादी के उक्त गाटा पर जबरन कब्जा व निर्माण करने का प्रयास किया, लेकिन वादी ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे अतिशीघ्र वादी के उक्त भूखण्डों पर कब्जा कर लेंगे, जिस कारण प्रस्तुत वाद की आवश्यकता हुयी। वादी द्वारा कागज संख्या–12ग2, गाटा संख्या–545 एवं 547/2 की उद्धरण खतौनी प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वादी का नाम गाटा संख्या–545 एवं 547/2 के सम्बन्ध में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वादी द्वारा कब्जे के सम्बन्ध कागज संख्या–13ग2 गाटा संख्या–545 एवं 547/2 के इन्तखाब खसरा को प्रस्तुत किया गया है, जिसके परिशीलन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या–545 एवं 547/2 पर वादी का अध्यासन दर्शित किया गया है। वादी प्रथम दृष्ट्या मामला

साबित करने में सफल रहा है। अगर वादी के पक्ष में एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किया जाता है तो वादी के वाद का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

आदेश

पत्रावली वास्ते सुनवायी प्रार्थना–पत्र 7 ग 2 दिनांक–11–01–2017 को पेश हो। प्रस्तुत प्रकरण में अग्रिम नियत तिथि तक प्रतिवादीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधित किया जाता है कि वे गाटा संख्या–545 रकवा 0.0510 हे० एवं गाटा संख्या–547/2 रकवा 0.1320 हे०, स्थित ग्राम–बरसोहिया, परगना–बरवन, तहसील–सवायजपुर, जिला–हरदोई, पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जा व भोगाधिकार में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का प्रभाव सक्षम अधिकारी द्वारा की जा रही सीमांकन कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा, न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

वादी आदेश–39 नियम–3 के प्रावधानों का अनुपालन अविलंब करना सुनिश्चित करे।

सिविल जज (जू०डि०) पश्चिमी,
हरदोई।
02–01–2017

प्रार्थना पत्र 09 ग–

वादी द्वारा विवादित स्थल की कमीशन आख्या मंगाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 09 ग दिया गया है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 09 ग कमीशन के सम्बन्ध में स्वीकार किया जाता है। वादी कमिश्नर हेतु आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे। बाद पैरवी नियमानुसार वरीयता क्रम में कमिश्नर को रिट जारी हो। कमिश्नर, प्रार्थना पत्र 09 ग के प्रकाश में अपनी रिपोर्ट नियत दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू०डि०) पश्चिमी,
हरदोई।
02–01–2017